न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/433

भोजा राम आयु 60 वर्ष आत्मज श्री दुर्गालाल जी जाति रेगर निवासी ग्राम माटून्दा (मुहा का बरडा) तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. देवलाल आुय 66 वर्ष
2. जगन्नाथ आयु 51 वर्ष
3. नारायण आुय 46 वर्ष पिसरान श्री दुर्गालाल जी रेगर निवीस माटून्दा तहसील व जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सोसर पत्नी दुर्गालाल पत्नी औंकार जी जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती हीरा बाई पत्नी देवलाल जी पुत्री दुर्गालाल जी जाति रेगर निवासी बाहरली बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य श्रीमान् तहसीलदार साहब, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 24.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 86/2 रकबा 20 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री दुर्गालाल वल्द भंवरलाल थे । दुर्गालाल जी के पुत्र वादी भोज्याराम एवं प्रतिवादी देवलाल, जगन्नाथ व नारायण हैं तथा

पुत्रियॉ प्रतिवादी कम 4 सोसर व प्रतिवादी कम 5 श्रीमती हीराबाई है । वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 5 का बराबर का हिस्सा है एवं हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से की भूमि बंटवारे में प्रदान की जाकर उक्त भूमि पर वादी को नियमानुसार कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से तक की भूमि पर काश्त करने में रूकावट न डालें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नहीं सुना गया सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होने के उपरान्त भी पक्षकारों के मध्य बंटवारे की प्राथमिक डिक्री दी जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाना चाहिए था । इस बाबत् अपीलान्ट ने अपने शपथ पत्र भी पेश किये थे । रेस्पोडेन्ट द्वारा उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा आदेश प्रदान किये गये हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2015 तारीख पेशी नियत थी । इससे पूर्व ही इसे दिनांक 15.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया । लोक

अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा